Received 31/12/12

दिनांक 22.12.2012 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति- पंजी में संधारित है ।

ज्रेडा-

ज्रेड़ा से प्राप्त अनुदानित सोलर लालटने वितरण की समीक्षा की गई । उपायुक्त द्वारा बताया गया कि पूर्व में जिन-जिन पंचायतों में सोलर लालटने उपलब्ध कराया जा चुका है उक्त पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र सात दिनों में अन्दर प्राप्त करें ताकि अगली किस्त की अधियाचना ज्रेडा से की जा सके । सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजना सुनिश्चित करें ।

स्वर्ण जयन्ति स्वरोजगार योजना की अंकेक्षण-

इस जिले में अंकेक्षण हेतु नामित सी0ए0 द्वारा बताया गया स्वर्ण जयन्ति स्वरोजगार योजना अंतर्गत चतरा एवं कान्हाचट्टी प्रखण्ड को छोड़कर अन्य प्रखण्डों का अंकेक्षण नहीं किया गया है । उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि शेष बचे सभी प्रखण्ड विकास पदधिकारी अपने-अपने नाजिर को रोकड़ बही के साथ दिनांक 27.12.2012 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में अंकेक्षण हेतु निदेशित किया जाए ।

मनरेगा-

मनरेगा के अन्तर्गत नये स्वीकृत योजनाओं में कार्य प्रारम्भ एवं प्रगति की प्रखण्डवार समीक्षा की गई । समीक्षा में पाया गया कि अभी तक पूरे जिले में कुल 776 योजनाऐं की स्वीकृति दी गई है जिसमें चतरा प्रखण्ड में कुल स्वीकृत 116 योजनाओं में मात्र 66, गिद्धौर में 53 में 12, ईटखोरी में 35 योजना मेकं मात्र 15 कुन्दा में 48 योजना मेकं मात्र 22 योजना, लावालौंग में 84 योजना मेकं 70 योजना, मयूरहण्ड में 53 में 22 योजना, प्रताापुर में 60 में से 22 योजना एवं टण्डवा में कुल 32 में 15

योजनाओं में ही कार्य प्रारम्भ हुआ है । उपायुक्त द्वारा योजनाओं शत्-प्रतिशत् कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर खेद व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि शेष कार्य एक सप्ताह के अन्दर प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें ।

गंधरिया पंचायत में एक भी योजना प्रारम्भ नहीं होने के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चतरा द्वारा बताया गया कि इस पंचायत के रोजगार सेवक श्री विपीन कुमार सिंह द्वारा कार्य प्रारम्भ करने में अभिरूचि नहीं लिया जा रहा है एवं अनुपस्थित है ।उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यमुक्त करने की कार्रवाई किया जाए ।

योजना की मापी एवं भुगतान की समीक्षा की गई । लावालौग प्रखण्ड को छोड़कर अन्य प्रखण्डों में मापी एवं भुगतान की स्थिति की प्रगति काफी धीमी पाई गई। उपायुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई । समीक्षा के कम में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि मुखिया द्वारा कार्य प्रारम्भ में अभिरूचि नहीं ली जा रही है एवं सहयोग भी नहीं किया जा रहा है जिसके कारण कठिनाई हो रही है । उपायुक्त द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वैसे पंचायत जहां 40 प्रतिशत् से कम कार्य हुआ है वैसे मुखिया को नोटिस देते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त करें यदि स्पष्टीकरण युक्तियुक्त नहीं पाया जाता है तो उपमुखिया को मुखिया का शक्ति प्रदत्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें । साथ ही साथ सभी कार्य एक सप्ताह के अन्दर प्रारम्भ कराने का निदेश दिया गया ।

ईटखोरी प्रखण्ड के प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि श्री विकास यादव, मनरेगा कनीय अभियंता अनुपस्थित है, जिसके कारण मापी ससमय नहीं हो पा रहा है । उपायुक्त द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ईटखोरी को निदेश दिया गया कि अनुपस्थित दिनों का मानदेय काटकर मानदेय भुगतान सुनिश्चित किया जाए । सभी कनीय अभियंताओं को निदेश दिया गया साप्ताहिक मापी करना सुनिश्चित करें ।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मिटटी मोरम योजना में मिटटी का कटाव योजना स्थल से दूर करने का मामला लाया गया । उपायुक्त द्वारा स्पष्ट बताया गया कि कनीय अभियंता ऐसे योजनाओं की मापी करते समय योजना स्थल के अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक पीट्स देखें जहां से योजना हेतु मिट्टी का कटाव किया गया है संतुष्ट होने के बाद हीं मापी करें । यदि पीट्स नहीं दिखाई देता है तो योजना की भौतिक स्थिति के अनुसार हीं मापी सुनिश्चित करे । उपायुक्त द्वारा बताया गया कि योजना स्थल पर जाकर कनीय अभियंता योजना के संबंधित मेठ को मापी हेतु तकनीकि जानकारी प्राप्त करायें ।

गजवा पंचायत के भुसिया ग्राम के मोतीयाही आहर से सिदराडीह अशोक यादव के घर तक मिटटी मोरम पथ के संबंध में कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि उक्त योजना में ट्रैक्टर का उपयोग किया गया है । चर्चा उपरान्त उपायुक्त द्वारा उक्त योजना में तत्काल भुगतान नहीं करने एवं रद्ध करने का निदेश दिया ।

पाराडीह पंचायत के लरकुआ में मांगन पाहन के घर से बनौधी नदी तक मिट्टी मोरम पथ मामले की चर्चा की गई । चर्चा के उपरान्त उपायुक्त द्वारा बताया गया कि योजना प्रारम्भ के पूर्व मजदूर गोष्टी, कार्यादेश निर्गत की गई है तो उसकी प्रति प्राप्त करें अन्यथा संबंधित रोजगार सेवक को चयन मुक्त करने की कार्रवाई करें । उपायुक्त द्वारा बताया गया कि सभी योजनाओं में कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व योजना का बोर्ड एवं मजदूर गोष्टी अवश्य सुनिश्चित करायें जिसकी विडियोग्राफी/फोटोग्राफी हो ताकि कियान्वयन में पारदर्शिता रहे ।

उपायुक्त द्वारा बताया गया कि योजनाओं में कार्य के विरूद्ध भुगतान एवं मापी नहीं हुई है । उपायुक्त द्वारा सभी कनीय अभियंताओं/ सहायक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि सतत् भ्रमण कर योजनाओं की मापी सुनिश्चित करें ।

मनरेगा कूप की समीक्षा की गई । समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि अवशेष सभी कूपों में भुगतान करते हुए एम0आई0एस0 में बन्द करना सुनिश्चित करें ।

प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, टण्डवा द्वारा बताया गया कि इस प्रखण्ड में 5 कूप ऐसे है जिसमें कुप की खुदाई 36 फीट थी लेकिन क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण मिटटी भर गया जिसके चलते 15-16 फीट ही बंधाई हो पाया है । लाभुक द्वारा 36 फीट भुगतान हेतु अनुरोध किया जा रहा है । उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि अद्यतन मापी के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के वार्षिक कार्य योजना हेतु आम सभा

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक कार्य योजना हेतु आम सभा की चर्चा की गई । प्रखण्ड विकास पदाधिकरियों द्वारा बताया गया कि आम सभा हो गया है एवं पंचायत समिति से अनुमोदन कराकर 31-12-2012 तक भेजने का निदेश दिया गया ।

इन्दिरा आवास योजना

इन्दिरा आवास योजना की समीक्षा की गई । वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित लक्ष्य के आलोक में हण्टरगंज, टण्डवा प्रखण्ड में अभी भी स्वीकृति एवं एकरारनामा नहीं किया गया है । उपायुक्त द्वारा खेद ब्यक्त किया गया एवं निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ कराते हुए प्रथम किस्त की राशि लाभुक को दें अन्यथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित कर दी जायेगी । समीक्षा के कम में पाया गया कि जितनी संख्या में प्रथम किस्त की राशि विमुक्त करनी चाहिए था उतना नहीं किया गया है । सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अभियान चलाकर कार्य में प्रगति लायें एवं राशि विमुक्त करें ताकि केन्द्र सरकार से किस्त की राशि हेतु अधियाचना भेजा सके ।

आवास सॉफ्ट

इन्दिरा आवास योजना के लिए लाभुकों का डाटा बेस आवास सॉफ्ट योजना की समीक्षा की गई । उपायुक्त द्वारा बताया गया कि कुल 2149 कूपों में मात्र 6.33 प्रतिशत् कूपों का आवास सॉप्ट में डाटा इन्ट्री हो पाया है । उपायुक्त द्वारा बताया गया कि तब तक 60 प्रतिशत् इन्ट्री नहीं हो जाती है तब तक किस्त विमुक्ति का प्रस्ताव

केन्द्र सरकार को भेजा नहीं जा सकेगा । इसके लिए शत् प्रतिशत् लाभुकों का आवास सॉप्ट इन्ट्री अनिवार्य है । सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी लाभुकों का डाटा बेस आवास सॉप्ट में एक सप्ताह के अन्दर इन्ट्री सुनिश्चित करें

डी0सी0 विपत्र

डी0सी0 विपत्र की समीक्षा की गई । उपायुक्त द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार से विमुक्त राशि जिसकी निकासी कोषागार के माध्यम से होती है उसके सामंजन के लिए व्यय राशि का डी0सी0 विपत्र महालेखाकार को भेजना है । सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं अन्य सूत्र विभागों को विधायक मद्, मुख्यमंत्री विकास योजना एवं अन्य मद् में व्यय राशि का डी0सी0 विपत्र शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक-1447-/जि0ग्रा0, दिनांक 26.12.2012

प्रतिलिपि- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी,चतरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा/ सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-जिला अभियंता, जिला परिषद, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- जिला योजना पदाधिकारी/ आई0ए0पी0 नोड़ल पदाधिकारी/जिला सूचना पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी,चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक-1447-/जि0ग्रा0, दिनांक 26.12.2012

प्रतिलिपि- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल,हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,